भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2930

दिनांक 11.12.2012/20 अग्रहायण, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना

†2930. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती उषा वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अपने विभागों में राजकीय भाषा हिंदी का उपयोग करने के लिए कोई निदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हिंदी पखवाड़ा तथा इसके विकास के लिए आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिंदी भाषा को बढ़ावा देने तथा राजकीय भाषा को अधिक सार्थक, सरल और व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क): जी, हां।

(ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग): राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों में हिंदी पखवाड़े के आयोजन करने और राजभाषा हिंदी के विकास के लिए कोई राशि प्रदान नहीं करता तथा इस संबंध में उनके द्वारा उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा नहीं रखता है। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के विकास के लिए राज्य सरकारों को कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है।

(घ): राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नोट और पत्र लिखने में आसान हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकारी कार्य में आम तौर पर समझ में आने वाले शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

दिनांक 11.12.2012 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या-2930 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के प्रावधान के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुपालन में संघ के काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन के लिए राजभाषा हिंदी प्रयोग संबंधी विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इन लक्ष्यों की उपलब्धियां दर्शाते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर इसे संसद के पटल पर रखवाता है। राजभाषा विभाग केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर सतत् निगरानी रखने के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाता है।

सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टकण, अनुवाद, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजभाषा हिंदी को आधुनिक विधा से जोड़ने की दिशा में विभाग द्वारा कई हिंदी साफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।

संसदीय राजभाषा समिति केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कामकाज की समीक्षा करते हुए सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है, जिस पर विचार कर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए जाते हैं। संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राय देने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। केंद्रीय विभागों में संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। देश के विभिन्न शहरों में स्थित केंद्रीय सराकर के कार्यालयों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित है।

सरकार राजभाषा हिंदी के विषय में अपने संवैधानिक दायत्वों की ओर पूर्णतः सचेत है तथा उनको निभाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।